

तारांकित प्रश्न क्रमांक 6694 द्वारा माननीय विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

प्रपत्र - 'अ'

क्र.	तहसील का नाम (जावरा/पिपलौदा)	प्रश्न क्रमांक 22 दिनांक 22.02.2017 में उल्लेखित मार्गों का नाम एवं लम्बाई	प्राक्कलन के संबंध में की गई कार्यवाही	मार्गों को बजट में सम्मिलित करने बाबत कार्यवाही
1	जावरा	रीछाचांदा से सेमलिया मार्ग लम्बाई 6.00 कि.मी.।	ग्राम पंचायत का मार्ग है, जो माननीय मंत्री जी की सूची में अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग के अंतर्गत प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्र. 4858/कार्य/प्लान/उज्जैन दिनांक 31.12.2016 से रुपये 427.13 लाख का प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। प्राक्कलन परीक्षणार्थीन है।	जिला योजना सीमा उपलब्ध होने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य शासन द्वारा बजट में लेने हेतु कार्यवाही की जाती है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं।
2	पिपलौदा	कसेर से चिपिया मार्ग लम्बाई 2.00 कि.मी.।	गिटटीकृत मार्ग से डामरीकृत मार्ग हेतु इस कार्यालय का पत्र क्र. 124/कार्य/प्लान/उज्जैन दिनांक 09.01.2017 से रुपये 99.50 लाख का प्रमुख अभियंता कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है।	जिला योजना सीमा उपलब्ध होने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य शासन द्वारा बजट में लेने हेतु कार्यवाही की जाती है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं।
3	पिपलौदा	पिपलौदा मार्ग से खया पंचेवा सुखड़ा मार्ग लम्बाई 11.00 कि.मी.।	विभाग द्वारा डामरीकरण कार्य कर दिया गया है। अतः बजट में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं	विशेष मरम्मत मद के अंतर्गत 335 मीटर में सी.सी. कार्य का प्राक्कलन रु. 71.04 लाख का प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3262/कार्य/सड़क/मजबूतीकरण/2016-2017 दिनांक 09.09.2016 द्वारा प्रेषित किया गया जो कि प्रमुख अभियंता के पत्र क्र. 3306 दिनांक 28.09.2016 द्वारा मुख्य अभियंता को लौटाया गया है।
4	जावरा	रिनोद से खया कलालिया फोरलेन फटे तक लम्बाई 8.20 कि.मी.।	विभाग द्वारा डामरीकरण कार्य कर दिया गया है। अतः बजट में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं	विभाग द्वारा डामरीकरण कार्य कर दिया गया है। अतः बजट में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं

प्रश्न सं. [ सं. 6694 ]